"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2010—वैशाख 3, शक 1932

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-1/2010/सक/26.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़, पंचायत एवं समाज कल्याण, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

वर्तमान अनुसूची-तीन के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति के ब्यौरे
1	2	3	4	5	6
पंचायत एवं समाज कल्याण	1 कनिष्ठ तांत्रिक सहायक	21	35	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पॉलिटिकनीक से इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रानिकल में पत्रोपाधि।	1.सयुक्त संचालक (प्रशासन/पंचायत)- अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक (जिला) - सदस्य 3. संचालक द्वारा नामांकित एक सदस्य जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग का प्रतिनिधि हो- सदस्य

	2 जूनियर आर्थोटिक प्रोस्थेटिक इंजिनियर	21	35	1. आर्थोटिक/प्रोस्थेटिक में स्नातक की उपाधि या पत्रोपाधि	उपरोक्तानुसार
	3 विशेष शिक्षक (दृष्टि बाधित)	21	35	1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक की उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से दृष्टि बाधित बच्चों के अध्यापन में पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	4 कम्यूनिकेशन डिसआर्डर	21	35	1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक की उपाधि 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से श्रवण बाधिता बच्चों के अध्यापन में पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	5 अनुदेशक (आंश्रयदत्त)	21	35	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पॉलिटेकनीक/आईटीआई में पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	6 उच्च वर्ग शिक्षक (अस्थि बाधित रायपुर,जगदलपुर)	21	35	1 कला/वाणिज्य/विज्ञान समूह में स्नातक की उपाधि। 2. अध्यापन में उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	7 सामान्य शिक्षक / उच्च वर्ग शिक्षक (बहु वि. गृह,दृष्टि/श्रवण बाधित. निःशक्त विद्यालय)	21	35	1 कला/वाणिज्य/विज्ञान समूह में स्नातक की उपाधि। 2. अध्यापन में उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	8 शिक्षक, दृष्टि बा0/ श्रवण बाधित (दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय /मानसिक निःशक्त गृह)	21	35	1 कला/वाणिज्य/विज्ञान समूह में स्नातक की उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अध्यापन में उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	9 जिला अंकेक्षक	21	35	1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि।	उपरोक्तानुसार
	10 कांउसलर (रांप्रेक्षण गृह)	21	35	1 समाज कार्य विषय में स्ताकोत्तर उपाधि। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (एम.एस.डब्ल्यू)	उपरोक्तानुसार
	11 परिवीक्षा अधिकारी	21	35	1 समाज कार्य विषय में स्ताकोत्तर उपाधि। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (एम.एस.डब्ल्यू)	उपरोक्तानुसार
	12 फिजियो थेरापिस्ट/ आक्युपेशनल थेरापिस्ट (निःशक्त बाल गृह)	21	35	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियो थेरापिस्ट या आक्युपेशनल थेरापिस्ट में उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	13 मोबिलिटि प्रशिक्षक (निःशक्तजन का हा. स्कूल)	21	35	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से मोबिलिटि में उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार

	14 प्रशिक्षित शिक्षक (श्रवण बाधित/मानसिक रूप से निःशक्त)	21	35	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषयों में उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	15 उप अंकेक्षक	21	35	1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।	उपरोक्तानुसार
	16 हाउस मास्टर	21	35	1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य, में स्नातकोत्तर।	उपरोक्तानुसार
	17 बहुद्देशीय प्रशिक्षक/प्रशिक्षक/व्यवसायिक प्रशिक्षक (सुधारत्मक सेवा/निःशक्त)	21	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण। 2. संबंधित व्यवसाय में पॉलिटेकनिक/आई.टी.आई. में पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	18 पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	21	35	1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य, में स्नातक।	उपरोक्तानुसार
	19 वितंतु यांत्रिक	21	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से दृश्यश्रव्य या इलेक्ट्रानिक इजिनियरिंग में पत्रोपाधि या प्रमाण पत्र, रेडियो, टी.वी. के सुधार का कार्य अनुभव।	उपरोक्तानुसार
	20 शू मेकर/लेदर वर्कर (जिला पुर्न.क्रेन्द्र)	21	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण 2. जूता बनाने का कार्य अनुभव ।	उपरोक्तानुसार
	21 मेट्रन	21	35	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाण्जिय, में स्नातक।	उपरोक्तानुसार
	22 व्यवसायिक शिक्षक (अस्थिबाधित/श्रवण बाधित विद्यालय)	18	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण 2 मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय मे उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	23 मान्टेसरी शिक्षक/निम्न श्रेणी शिक्षक/शिक्षक (अस्थि बाधित/मानसिक रूप से निःशक्त बाल गृह/सम्प्रेक्षण गृह)	21	35	1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य, में स्नातक। 2. शिक्षा में पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	24 वार्डन	21	35	1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य, में स्नातक।	उपरोक्तानुसार
	25 सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी	21	35	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण।	उपरोक्तानुसार
	26 वाहन चालक	18	35	1 आठवी कक्षा उत्तीर्ण । 2. भारी तथा हलके वाहन चालने की अनुज्ञप्ति ।	उपरोक्तानुसार

	27 कलाकार	18	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2.अभिनय/संवादलेखन/संगीत/निर्देशन में उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	28 चलचित्र चालक	18	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2. सिनेमा (ऑडियो/विसुअल) का अंनुज्ञप्ति धारक।	उपरोक्तानुसार
	29 कनिष्ठ ऑक्युपेशनल थेरापिस्ट (जिला पुनर्वास केन्द्र)	18	35	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2. मान्यता प्राप्त संस्था से ऑक्युपेशनल थेरेपी उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	30 पुनर्वास सहायक/ बहुद्देशीय पुनर्वास सहायक/ बहुद्देशीय पुनर्वास सहायक तकनिकी (जिला पुर्नवास केन्द्र) संविदा	18	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2. भारतीय पुनर्वास बोर्ड से प्रमाण–पत्र धारक।	उपरोक्तानुसार
	31 मशीन मेन (ब्रेल प्रेस)	18	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2. मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिक अथवा कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम. या प्रिटिंग में पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	32 ब्रेल ट्रांसकायवर	18	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2. ब्रेल लिपी पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	33 सहायक ग्रन्थपाल	18	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पुस्तक विज्ञान में उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	34 प्रूफ रीडर	18	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2. ब्रेल लिपी में पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	35 नर्स	18	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. नर्सिंग में उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार
	36 ईअरमोल्ड टेकनिशियन	18	35	1 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेंकण्ड्री या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2. मान्यता प्राप्त संस्था या भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्य ईअरमोल्ड टेकनिशियन ट्रेड में उपाधि/पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार

	37 मनोवैज्ञानिक	18	35	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्लीनिक साईकोलॉजी में स्नातकोत्तर ।	उपरोक्तानुसार
	38 ऑडियोलॉजिस्ट	18	35	1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से ऑडियोलॉजी/स्पीच थैरेपी में उपाधि / पत्रोपाधि।	उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के.बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. एफ 1–1/2010/स.क./26.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2010/स.क./26. दिनांक 07–04–2008 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के.बेहार, सचिव.

Raipur, the 22nd April 2010

NOTIFICATION

No. F 1-1/2010/S W/26. — In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules for regulating to the recruitment of Chhattisgarh Panchayat and Social Welfare, Class III (Executive) Service Recruitment Rule, 2008, namely:

AMENDMENT

In the said rules, -

For existing Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :-

RULES

SCHEDULE –III

(See Rule- 8)

Name of the Department	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Details of Selection Committee
1	2	3	4	5	6
Panchayat & Social Welfare	1. Junior Technical Assistant	21	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System. 2. Diploma in Electronic/Electronical from Polytechnic	1. Joint Director (Admn./Panchayat)-Chairman, 2. Joint Director (District)-Member,

					3. One member nominated by the Director, representatives of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes-Member
	2. Junior Arthetic Prosthetic Engineer	21	35	1. Bachelor degree or Diploma in Arthetic/ Prosthetic, 2. Two years working experience in Arthetic/ Prosthetic	-do-
	3. Special Teacher (Blind)	21	35	1. Bachelor Degree in Arts/Commerce/ Science from any recognized University. 2. Diploma in teaching of Blind Children from any recognized Institution .	-do-
	4. Communication Disorder	21	35	1. Bachelor Degree in Arts/Commerce/ Science from any recognized University. 2. Diploma in teaching of Deaf Children from any recognized Institution .	-do-
	5. Instructor (Aashraydutta)	21	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System. 2. Polytechnic / ITI Diploma from any instt recognized by Govt.	-do-
	6. Upper division teacher (Arthetic, Raipur, Jagdalpur)	21	35	1. Bachelor Degree in Arts/Commerce/ Science Group. 2. Degree/Diploma in teaching,	-do-
	7. General Teacher/ Upper division teacher (Multiple disabled Home, Blind, Deaf disabled School)	21	35	1. Bachelor Degree in Arts/Commerce/ Science Group. 2. Degree/Diploma in teaching,	-do-
	8. Teacher, Blind/Deaf disable, (Blind & Deaf disabled School/Mentally disable Home)	21	35	1. Bachelor Degree in Arts/Commerce/ Science Group, 2. Degree/Diploma in teaching from recognized University.	-do-
	9. District Auditor	21	35	1. Bachelor Degree in second division in Commerce from recognized University .	-do-
	10. Councelor (Observation Home)	21	35	1. Master Degree in Social Work (M.S.W.) from recognized University .	-do-
	11. Probation Officer	21	35	1. Master Degree in Social Work (M.S.W.) from recognized University.	-do-
	12. Physiotherapist/ Occupational therapist (Arthetic	21	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under	-do-

	disabled children Home)			10+2 Education System. 2. Degree/Diploma in occupational therapy or physiotherapy from recognized Institution,	
	13. Mobility Instructor (High School disabled)	21	35	1. Bachelor Degree from recognized University . 2. Degree/Diploma in mobility from recognized Institute.	-do-
	14. Trained Teacher (deaf/ mentally disabled)	21	35	1. Bachelor Degree from recognized University . 2. Degree/diploma in related subjects from recognized Institute .	-do-
	15. Sub Auditor	21	35	1. Bachelor Degree in Commerce from recognized University.	-do-
	16. House Master	21	35	1. Post Graduate in Arts, Science, Commerce from recognized University.	-do-
	17. Multipurpose Instructor/Instructor/ Professional (Correctional service/disabled)	21	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System . 2. Politechnic / ITI Diploma in related professions .	-do-
	18. Panchayat & Social Welfare Organization	21	35	1. Graduation in Arts, Science, Commerce from recognized University.	-do-
	19. Vitantu Yantrik	18	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System . 2. Diploma or Certificate in Audio Visual or Electronic Engineering from recognized Institute. working experience in Radio, T.V. Repairing.	
	20. Shoe Maker/Leather Worker (DRC)	18	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System . 2. shoe making working experience	-do-
	21. Metron	21	35	1. Graduation in Arts, Science, Commerce from recognized University.	-do-
	22. Professional teacher (Arthetic/ Deaf disabled School)	18	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System. 2. Degree/diploma in related subjects from recognized Institute.	-do-
	23. Montesary Teacher/ Lower division teacher/ teacher (Arthetic, Mentally disabled Children Home/ Prevention Home .	21	35	1. Graduation in Arts, Science, Commerce from recognized University 2. Diploma in education .	-do-

	24. Wardon	21	35	1. Graduation in Arts, Science, Commerce from recognized University	-do-
	25. Sahayak Gram Panchayat Adhikari	21	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System	-do-
	26. Driver	18	35	1. 8th passed 2. Holding license for Driving heavy and light Moter veichle .	-do-
	27. Artist	18	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System . 2. Degree or Diploma in Acting/script writing /music /direction .	-do-
	28. Cinema Operator	18	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System. 2. License holder of Cinema(Audio/Visual)	-do-
	29. Junior Occupational therapist (DRC)	18	35	1.Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System 2. Degree/Diploma in occupational therapy or physiotherapy from recognized Institution.	-do-
	30. Rehabilitation Assistant / Multitple Rehabilitation Assistant/ Multitple Rehabilitation Assistant Technical DRC-Contract	18	35	1.Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System . 2.Certificate Holder from Indian Rehavilitation Board.	-do-
	31. Machineman (Brail Press)	18	35	1.Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System . 2.Diploma from recognized Institution Machonic or Computer Operator and Progamming in Printing.	-do-
	32. Brail Transquair	18	35	1.Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System 2.Diploma in Brail Lipi .	-do-
	33. Asst. Librarian	18	35	1.Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System. 2.Degree/Diploma in Library Science.	-do-
	34. Proof Reader	18	35	1.Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System 2.Diploma in Brail Lipi.	-do-

	35. Nurse	18	35	1.Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System. 2. Degree/Diploma in Nursing.	-do-
	36. Earmold Technician	18	35	1.Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 Education System . 2. Degree/Diploma in Earmold Technician Trade from Indian Rehavilitation Board or recognized instt.	-do-
	37. Psychologist	18	35	1.Post Graduation in Clinical Pschicology from recognized University	-do-
	38. Audiologist	18	35	1. Bachelor Degree from recognized University. 2. Degree/diploma in Audiology / Speech Therepy from recognized Institute.	-do-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. BEHAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.